



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfddevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-44/2015-(खण्ड-3)-682 दिनांक- 18.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत रंगीनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 26.184 लाख (छब्बीस लाख अठारह हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट-71/2015-31/स्वी0 व0 प0 दिनांक-17.08.2015 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-71/2015-13/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल **रु0 26.184 लाख (छब्बीस लाख अठारह हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789090103	14.140
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789090323	11.300
प्रशिक्षण	19S240601789090335	0.744
कुल :-		26.184

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789090103, 19S240601789090323 एवं 19S240601789090335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की गई लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के स्वयं सहायता समूहों द्वारा रंगीनी/कुसुमी लाह उत्पादन (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष) संबंधी निम्नलिखित सूचनाएँ संधारित कर 30 जून, 2017 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय। :-

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	योजना से संबंधित वन स्थल का नाम	चिन्हित पेड़ों की संख्या	स्वयं सहायता समूह से जुड़ी समिति का नाम	समूह के व्यक्ति का नाम एवं पता/मोबाईल नं० के साथ	INRG में प्रशिक्षित व्यक्तियों का नाम एवं पता/मोबाईल नं० के साथ	संस्थान का नाम जहां से Brood Lac का क्रय किया गया है।
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. लाह उत्पादन से संबंधित कार्य की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। संबंधित कार्य के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।



15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-44/2015-(खण्ड-3)-682 दिनांक- 18.05.17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-44/2015-(खण्ड-3)-682 दिनांक- 18.05.17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-44/2015-(खण्ड-3)-682 दिनांक- 18.05.17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का त्रि-वर्षीय कार्यों का तृतीय वर्ष प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-9300 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 930 लाभुक परिवार)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2017-18			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				4.773	3.798	0.250	8.821
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	देवघर वन प्रमंडल,	93	9300	3.535	2.825	0.186	6.546
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल,	93	9300	3.535	2.825	0.186	6.546
3	धनबाद वन प्रमंडल,	93	9300	3.535	2.825	0.186	6.546
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,	93	9300	3.535	2.825	0.186	6.546
योग :-		372	37200	14.140	11.300	0.744	26.184

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

रसिनी लार्ह उत्पादन हेतु संशोधित दर तालिका

रसिनी लार्ह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत लार्ह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना का प्रशासित कार्य दर
लार्ह पोषक प्रजाति प्रकार के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति हेक्ता-12500 प्रति हेक्ता (10 वृक्ष प्रति हेक्ता परिसर, कुल 12500 लागूक परिसर, गजदूरी दर - रु. 229.80 प्रति मानव दिवस)

(रु. लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष				द्वितीय वर्ष				तृतीय वर्ष				सकल योग	अनुवर्ति
			मौलिक लक्ष्य	गजदूरी	सागरी	परिश्रम	कुल व्यय	मौलिक लक्ष्य	गजदूरी	सागरी	परिश्रम	कुल व्यय	मौलिक लक्ष्य	गजदूरी		
1	वृक्षों का विनाशकना	रु. 2.66 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	वृक्ष निष्काशन के लिए 5-3 वृक्षों के दो स्टे-1 में निष्काशन करना। प्रथम वर्ष में स्टे-1 पर निष्काशन के लिए 5-3 वृक्षों की कार्य-वर्क करनी/गजदूरी दर को लागू करें।
2	परिश्रम	(क) हितवादी परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में JNRG के लार्ह वैज्ञानिकों द्वारा परिश्रम (ख) लार्ह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक जल एवं गौद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का परिश्रम	100 प्रति परिवार प्रति वर्ष		1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			3.750	
3	दुलकीट एवं अन्य सामग्री	रु. 1775/- प्रति दुलकीट: 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219					0.000			2.219	प्रथम वर्ष करनी/गजदूरी दर स्टे-1 के 2250 वृक्षों की कार्य-वर्क (10 वृक्ष प्रति 10 लागू वृक्षों) पर निष्काशन के लिए 5-3 वृक्षों के स्टे-2 के वृक्षों की कार्य-वर्क को लागू करें।
4	वृक्षों की कटाई-छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	2.770			2.770	6250 वृक्ष	2.770			2.770			0.000	5.540
5	बैठिन लार्ह का क्रय	700 ग्राम प्रति वृक्ष: रु. 200 प्रति किन्ना					0.000	6250 वृक्ष		8.750		8.750	प्रथम वर्ष उपस्थित बैठिन से 6250 वृक्ष		0.000	8.750
6	संचरण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष					0.000	6250 वृक्ष	0.693			0.693	6250 वृक्ष	0.718	0.718	1.411
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु. प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)					0.000	6250 वृक्ष		1.875		1.875	6250 वृक्ष	1.875	1.875	3.750
8	कीटनाश विह्वलक हेतु राँकिंग स्प्रें मशीन	1 मशीन प्रति 10 लागूक परिसर @ 6000रु.							7.500			7.500			0.000	7.500
9	पुष्पकी का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष					0.000	6250 वृक्ष	0.554			0.554	6250 वृक्ष	0.575	0.575	1.129
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लार्ह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250			0.250		0.250			0.250	0.750
11	लार्ह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ रु. 5000/- पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.600
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रु. प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880		2.880
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बैठ / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500			0.500		0.500			0.500	1.500
16	Concurrent Monitoring and Evaluation (including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2% of Project Cost		4.841	3.969	0.510	9.320		7.497	19.875	0.260	27.622		4.773	3.625	0.250
	सकल योग			4.841	4.165	0.510	9.507		7.497	20.427	0.260	28.174		4.773	3.798	0.250
															8.821	46.502

नोट : सर्वमान्य दिवसीय वर्ष के लिए गजदूरी दर क्षम निर्धारण एवं परिश्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम गजदूरी दर के अनुसार पर योजना का प्रयोजन किया जाएगा।

अध्यक्ष, संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यालय, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-44P-3/15/682

दिनांक - 18-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	33550	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	353,500.00 रुपये तीन लाख तीरपन हजार पॉंच सौ
2	S 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	33552	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	353,500.00 रुपये तीन लाख तीरपन हजार पॉंच सौ
3	S 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	33553	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	353,500.00 रुपये तीन लाख तीरपन हजार पॉंच सौ

1,060,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दस लाख साहठ हजार पॉंच सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. PS, DIVISIONAL FOREST OFFICER, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	33556	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	353,500.00 रुपये तीन लाख तीरपन हजार पाँच सौ
State Scheme : Central Scheme :				
5	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33560	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	282,500.00 रुपये दो लाख बयासी हजार पाँच सौ
State Scheme : Central Scheme :				
6	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33561	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	282,500.00 रुपये दो लाख बयासी हजार पाँच सौ
State Scheme : Central Scheme :				

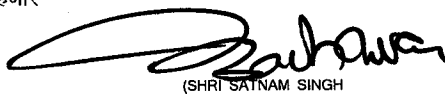
योग:

918,500.00

क्रमिक योग:

रुपये उन्नीस लाख उन्नासी हजार

1,979,000.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P. S. DIV. W. N. R. H. N. D.

RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33562	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	282,500.00 रुपये दो लाख बयासी हजार पाँच सौ

State Scheme :

Central Scheme :

8	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33563	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICER EAST	282,500.00 रुपये दो लाख बयासी हजार पाँच सौ
---	--	-------	--	---

State Scheme :

Central Scheme :

9	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	33567	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	18,600.00 रुपये अठारह हजार छः सौ
---	---	-------	---	-------------------------------------

State Scheme :

Central Scheme :

योग:

583,600.00

क्रमिक योग:

रुपये पच्चीस लाख बासठ हजार छः सौ

2,562,600.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P. S. DIV. W. AN. P. S. RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme : Central Scheme :	33570	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	18,600.00 रुपये अठारह हजार छः सौ
11	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme : Central Scheme :	33572	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	18,600.00 रुपये अठारह हजार छः सौ
12	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme : Central Scheme :	33575	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	18,600.00 रुपये अठारह हजार छः सौ

योग:

55,800.00

क्रमिक योग:

रुपये छब्बीस लाख अठारह हजार चार सौ

2,618,400.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. POST OFFICE IN CHARGE